दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री जेड 0 एस 0 लोहात की अदालत में

दिल्ली राज्य

वि0

इन्द्रसेन शर्मा

एफ आई आर न0 237/83 भा0 द0 संहिता की धारा 294 ऐ के अन्तर्गत पुलिस थाना हौजकाजी

आदेश के मुख्यांश

कार्यकर्ता इन्द्रसेन शर्मा और राजकुमार ने कुरान ग्रंथ में से कुछ आयतों के अंश पोस्टर्स पर प्रकाशित करके जनता में बाँटे । इन कार्यकर्ताओं के अनुसार कुरान की इन आयतों से स्पष्ट है कि इनमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट, लड़ाई, झगड़ा, लूटमार और हत्या ही नहीं बल्कि आदेश भी मिलते हैं ।

इन कार्यकर्ताओं के मतानुसार आज दुनियामें मुस्लिम और गैरमुस्लिम में जो दंगे फसाद होते हैं , ये दंगे और फसाद कुरान में से ऊपर बताए हुए आदेश का परिणाम हैं । इसीलिए जब तक कुरान में से ऊपर बताए गए आदेश वाली आयतें निकाली नहीं जाती जब तक दंगे फसाद बंद नहीं होगें, ऐसा इन कार्यकर्ताओं ने मत प्रदर्शित किया है ।

मेरी राय में लेखक ने उपरोक्त शब्दों को लिखकर उसकी खुद की राय या प्रस्ताव प्रकट किया है और ज्यादा से ज्यादा यह शब्द मुसलमानों की पवित्र पुस्तक ' कुरान ' में जो हकीकत है उसकी उचित समीक्षा है ऐसा कहा जा सकता है ।

" कुरान मजीद " की पवित्र पुस्तक का पूर्णतः आदर सहित आयतों का घनिष्ठता से अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि ये आयतें बहुत ही खतरनाक है और घृणास्पद हैं, और एक तरफ मुसलमान और दूसरी बाजू बाकी दूसरे समुदायों के बीच भेदभाव और द्वेष निर्माण हो, ऐसी है ।

महम्मद फारूखखान ने " कुरान " मजीद का हिंदी में किए गए अनुवाद के साथ विवादास्पद आयतों की मैने खुद तुलना की है और उससे मालूम होता है कि ये आयतें कुरान मजीद में जैसी हैं उसी प्रकार की अधिकतम आयतें नीचे दी हुई छोड़कर पुनरावृत्ति करके पोस्टर में ली गयी हैं ।

आयत न0 2 के सज्जा में (कालम में) शब्द मूर्तिपूजक जोड़कर, आयत न0 2 में गैर मुस्लिम, आयत न0 12 और 13 में शब्द लूट मिलाया गया है । आयत न014 में शब्द अर्धमुस्लिम, आयत न0 17 में शब्द मुसलमानों और आयत न0 18 और 19 में शब्द यथाक्रम ' अर्धमुस्लिम ' और ' मुसलमानों ' मिलते हैं ।

इसी किताब मे ंविलायती लेखक का अंग्रेजी में अनुवाद ध्यान से पढ़ने के बाद शब्द मूर्तिपूजक, गैरमुस्लिम, लूट, अर्धमुस्लिम ये शब्द उर्दू शब्द मुश्रिक, फित्कारह, गनीमत और मानफीक्स का अनुवाद हैं । उपरोकत पोस्टरों में प्रकाशित की गयी सभी आयतें और किताब में पढ़ी हुई आयतों का घनिष्ठता से अध्ययन करने के बाद उसमें से किसी प्रकार से दूसरा अर्थ नहीं निकलता, यह द्वेषित हेतु से प्रकाशित करने में आई है, ऐसा संकेत किया जाता है । उपरोकत विवेचना से, मेरी राय यह है कि दोषित के खिलाफ पहली दृष्टि में कोई मामला (केस) नहीं है, क्योंकि दोषित के सामने बयान हिए गए आरोप पहली दृष्टि में ही धारा 153 ऐ 295 की परिभाषा में नहीं पड़ते, इसीलिए दोनों आरोपियों को मुक्त किया जाता है ।

31 जुलाई 1986
मैट्रोपोलिटन मै0 दिल्ली

कुरान की कुछ आयतें जो ईमानवालों (मुसलमानों) को अन्य धर्मावलम्बियों से झगड़ा करने का आदेश देती हैं ।

1 . फिर जब हराम के महीने बीत जाएं, तो ' मुश्रिकों ' को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और पकड़ो, और उन्हें घेरो, और घात की जगह उनकी ताक में बैठो । फिर यदि वे ' तौबा ' कर लें नमाज कायम करें, और जकात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो । निः सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । '' (10.9.5) 10 पारः 9 शूरः 5 वीं आयत

2. '' हे ' ईमान ' लाने वालों ! ' मुश्रिक ' (मूर्तिपूजक) नापाक हैं ।" (10.9.28)

3. " निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं । " (5.4.101)

4. " हे ईमान लाने वालों ! (मुसलमानों) उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वे तुममे सख्ती पाएं । ''(10.9.123)

5. जिन लोंगों ने हमारी आयतों का इंकार किया, उन्हें हम जल्दी अग्नि में झोंक देंगे ! जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना रसास्वादन कर लें । निःसंदेह अल्लाह प्रभुत्वदर्शी तत्त्वदर्शी है । (5.4.46)

6. हे ईमान लाने वालों ! (मुसलमानों) अपने बापों और भाईयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसन्द करें । और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा, तो ऐसे ही लोग जालिम होंगें । (10.9.23)

7. अल्लाह '' काफिर '' लोंगो को मार्ग नहीं दिखाता । (10.9.37)

8. हे ईमान वालों काफिरों को अपना मित्र मत बनाओ । अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो । (6.5.57)

9. फिटकारे हुए, (गैर मुस्लिम) जहां कहीं पाए जाएगें पकड़े जाएगें और बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएगें । (22. 33.61)

10. (कहा जाएगा) निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जहन्नम का ईंधन हो । तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे । (17.21.98)

11. और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए, और फिर वह उनसे मुँह फेर ले । निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है । (21.33.22)

12. अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों , (लूट) का वादा किया है तो तुम्हारे हाथ आएगी । (26.48.20)

13. तो जो कुछ गनीमत का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल व पाक समझ कर खाओ । (10.8.69)

14. हे नबी ! काफिरों और मुनाफिको के साथ जिहाद करो, और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्म है, और बुरी जगह है जहाँ पहुँचे । (24.41.27)

15. तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मजा चखाऐंगे, और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देगें उस कर्म का जो वे करते थे । (24.41.27)

16. यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का (जहन्नम की) आग । इसी में उनका सदा घर है, इसके बदले में कि हमारी आयतों का इन्कार करते थे । (24.41.28)

17. निःसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों (मुसलमानों) से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी है और मारे भी जाते हैं ।(11.9.111)

18. अल्लाह ने इन मुनाफिक (अर्धमुस्लिम) पुरुषों और मुनाफिकों स्त्रियों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है । जिसमें वे सदा रहेंगे । यहीं उन्हें बस है । अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है । (10.09.68)

19. हे नबी! ईमान वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो । यदि तुममे 20 जमें रहेवाले होगें तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे । और यदि तुम में 100 हों तो 1000 काफिरों पर भारी रहेगें क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझबूझ नहीं रखते । (10.8.65)

20. हे ईमान लानेवालों (मुसलमानों) तुम यहूदियों और ईसाईयों को मित्र न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और जो कोई तुममें से उनको मित्र बनाएगा, वह उन्हीं मे से होगा । निःसंदेह अल्लाह जुल्म करनेवालों को मार्ग नहीं दिखाता । (6.5.51)

21. किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते है न अन्तिम दिन पर, न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते है। , उनसे लडों यहां तक कि वे अप्रतिष्ठित (अपमानित) होकर जिजिया देनें लगें ।

22. फिर हमनें उनके बीच कियामत के दिन तक के लिए वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे हैं। (6.5.14)

23. वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए है इसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ फिर तुम एक जैसे हो जाओ तो उनमें से किसी को अपना साथी ना बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें और यदि वे इससे फिर जाएं तो जहां कहीं इन्हें पाओ, पकड़ो, और उसका (कत्ल) वध करो और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना । (5.4.89.)

24. उन (काफिरों) से लड़ो ! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा , और उन्हें रुसवा करेगा और इसके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा , और ईमान वालों के दिल ठंडे करेगा । (10.09.14)

उपरोक्त आयतों से स्पष्ट है कि इनमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कपट, लड़ाई झगड़ा, लूटमार और हत्या करने के आदेश मिलते हैं । इन्हीं कारणों से देश व विश्व में मुस्लिमों व गैर मुस्लिमों के बीच दंगे हुआ करते हैं ।

दिल्ली प्रशासन ने सन् 1985 में सर्वश्री इन्द्रसेन वर्मा और राजकुमार आर्य के विरुद्ध दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में, उक्त पत्रक छापने के आरोप में मुकदमा किया था। न्यायालय ने 30 जुलाई 1986 को उक्त दोनों महानुभावों को बरी करते हुए निर्णय दिया कि :–

'' कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं , जिससे मुसलमानों और देश के अन्य वर्गों में भेदभाव को बढ़ावा मिलने की सम्भावना रहती है । ''

हिन्दू रायटर्स फोरम, नई दिल्ली–27 पुर्नमुद्रित व प्रकाशित